न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 42/2024 दायर दिनाँक 28.02.2024

वादी

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरूराम जाति माली निवासी गाढ़ा बास, डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. देवाराम पुत्र पूर्णाराम
2. दामोदर प्रसाद पुत्र नेमीचन्द
3. नवरत्न पुत्र नेमीचन्द
4. पुखराज पुत्र पूर्णाराम समस्त जाति माली निवासीगण गाढ़ा बास, डीडवाना
5. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री रणजीत बलारा वकील वादी।
2. श्री कमलेश चौधरी वकील प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व 4 की तरफ से।

—:: अंतिम निर्णय ::—

दिनाँक 08.11.2024

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वाकै सरहद ग्राम अमरपुरा में खेत खसरा सं0 219 रकबा 3.1600 हैक्टे0, खसरा सं0 230 रकबा 0.0400 हैक्टे0 गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा सं0 231 रकबा 6.6000 हैक्टे0 कुल 9.8000 हैक्टे0 की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 13.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 421 दिनाँक 19.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अत: तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 421 दिनाँक 13.08.2024 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :—

—:: आदेश ::—

अत: हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद अमरपुरा में खेत खसरा सं0 219 रकबा 3.1600 हैक्टे0, खसरा सं0 230 रकबा 0.0400 हैक्टे0 गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा सं0 231 रकबा 6.6000 हैक्टे0 कुल 9.8000 हैक्टे0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 421 दिनाँक 13.08.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 421 दिनाँक 13.08.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.04.27 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 08.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 42/2024 — दायर दिनाँक 28.02.2024

वादी		प्रतिवादीगण
1. लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरूराम जाति माली निवासी गाढ़ा बास, डीडवाना जिला डीडवाना– कुचामन।	बनाम्	1. देवाराम पुत्र पूर्णाराम 2. दामोदर प्रसाद पुत्र नेमीचन्द 3. नवरत्न पुत्र नेमीचन्द 4. पुखराज पुत्र पूर्णाराम समस्त जाति माली निवासीगण गाढ़ा बास, डीडवाना 5. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 08.11.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रणजीत बलारा वकील वादी व श्री कमलेश चौधरी वकील प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व 4 की तरफ से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद अमरपुरा में खेत खसरा सं0 219 रकबा 3.1600 हैक्टे0, खसरा सं0 230 रकबा 0.0400 हैक्टे0 गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा सं0 231 रकबा 6.6000 हैक्टे0 कुल 9.8000 हैक्टे0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 421 दिनाँक 13.08.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 421 दिनाँक 13.08.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.11.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो दो फरीकैन के, वकील के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.04.27 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner